तत्काल/समयबद्ध

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

विकास भवन, कलेक्ट्रेट, मेरठ E-Mail Id-meerutsamajkalyan@gmail.com दूरभाष न0- 121-4000442

पत्रांक C-2393 /स0क0/छात्रवृत्ति/2025-26 दिनांक 24 जनवरी 2026

कुल सचिव/रजिस्ट्रार/प्राचार्य,

समस्त राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान/कालेज

जनपद मेरठ।

विषय- ***शैक्षिक सत्र 2025-26 में छात्रवृत्ति आवेदित छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र निर्णय लेते हुए नियमानुसार अग्रसारित करने के सम्बन्ध में।***

उपरोक्त विषयक चल शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शासन स्तर से जारी सारिणी के क्रम में शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी, 2026 निर्धारित है। आज दिनांक तक SC/ST/GENERAL वर्ग में संस्थाओं के स्तर पर 4411 छात्र/छात्राओं का डाटा अग्रसारित किये जाने हेतु लम्बित है एवं शिक्षण संस्थाओं से डाटा अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि में मात्र 03 दिन शेष है तथा दिनांक 26-01-2026 तक समस्त डाटा का निस्तारण किया जाना है। सी0एम0डैसबोर्ड पर छात्रवृत्ति योजना में जनपद की D रैंक होने के कारण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिये गये है सभी संस्थाओं के स्तर से समस्त डाटा का निर्धारित तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से निस्तारण कराया जाये एवं यदि निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी संस्था के स्तर पर कोई डाटा लम्बित रहता है तो संस्थाओं के HOI/INO का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों का विवरण निम्नवत् है

	Final Submission	Recieve By Collage	Verify By Collage	Rejected By College	Fwd By Collage	Pending At College
SC	18796	17417	16741	575	15473	**2748**
ST	73	64	60	4	55	**14**
GENERAL	12156	11337	10407	870	9637	**1649**
Total	**31025**	**28818**	**27208**	**1449**	**25165**	**4411**

उक्त विवरण के अनुसार विद्यालयों के स्तर पर से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के फाईनल सब्मिट 31025 आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र 25165 आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये तथा आज दिनांक तक 4411 आवेदन पत्र लम्बित है। **कतिपय संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदन पत्रों पर अगले चरण में कार्यवाही किये जाने हेतु डाटा लम्बित रखा हुआ है। जबकि समय सारिणी के अनुसार द्वितीय चरण में संस्थाओं के स्तर पर प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त आवेदन पत्रों को अनिवार्य रूप से दिनांक 27-01-2026 तक ही अग्रसारित किया जाना है, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्रों को अगले चरण हेतु लम्बित नहीं रखना है।**

अतः उपरोक्त क्रम में समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में शिक्षण संस्थानों के स्तर पर लम्बित समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों पर तत्काल निर्णय लेते हुए, पात्र छात्रों की बायोमैट्रिक कराते हुए आवेदन पत्रों को अन्तिम तिथि 27 जनवरी 2026 से पूर्व नियमानुसार अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। यदि छात्र/छात्रायें बायोमैट्रिक हेतु उपस्थित नही हो रहे है तो उन छात्रों के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए आवेदन पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। चूँकि छात्रवृत्ति नियमावली 2023 के नियम 6(xiv) में प्राविधानित नियम है कि ***"शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत से या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। दिनांक 27-01-2026 के उपरान्त किसी भी स्थिति में शिक्षण संस्थान के स्तर पर किसी भी वर्ग का कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं रहना चाहिए।*** यदि किसी शिक्षण संस्था के स्तर पर आवेदन पत्र लम्बित रहते है तो सम्बन्धित निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य व छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक- संस्थावार सूची।

24/01/2026

(सुनील कुमार सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

मेरठ।

पृष्ठांकन सं0 तद दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 2-जिलाधिकारी, मेरठ।

3-मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ। 4-उपनिदेशक,समाज कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।